रुपये रिलीज किए गए हैं। जिलावार और योजनावार आबंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

(घ) जी, नहीं।

गुजरात के कच्छ और बनासकांठा जिलों को गरीबी निवारण हेतु सहायता

105. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ल:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गुजरात के ऋणग्रस्त और सूखा पीड़ित जिलों कच्छ और बनासकांठा की जनजातियों की दशा के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान गरीबी निवारण कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा उक्त जिलों को कितनी वित्तीय सहायता जारी की गई है;

(घ) इन जिलों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए किन-किन योजनाओं को लागू किया गया है;

(ङ) क्या इन जिलों के ग्रामीण और सरहदी जिले होने के कारण महिलाओं के उत्थान और स्वरोजगार संबंधी कार्यक्रमों के अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सके हैं; और

(च) क्या सरकार द्वारा इन जिलों में गरीबी निवारण कार्यक्रमों के प्रसार और प्रचार के लिए कोई ठोस प्रयास किए गए है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री बिन्नराप्पु वेंकटप्पायडु): (क) से (ङ) ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय द्वारा गुजरात की जनजातियों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले व्यक्तियों की ऋणग्रस्त का मानीटरन नहीं किया जा रहा है। तथापि, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहरण रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना दस लाख कुओं की योजना, सूखा बहुल क्षेत्र कार्यक्रम त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, इंदिरा आवास योजना जैसी विभिन्न ग्रामीण रोजगार तथा अन्य विकासात्मक योजनाओं को केन्द्र द्वारा देशभर में महिला तथा जनजातीय आबादी सहित ग्रामीण निर्धनों के लाभ के लिए चलाया जा रहा है।

गुजरात राज्य के कच्छ और बनासकांठा जिलों की विभिन्न योजनाओं के लिए जारी की गयी वित्तीय सहायता की राशि निम्नानुसार है:—

कच्छ जिला

योजना	1994-95	1995-96	1996-97
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	48.43	52.64	53.54
जवाहर रोजगार योजना	475.36	254.67	70.87
सुनिश्चित रोजगार योजना	200.00	500.00	500.00*
दस लाख कुओं की योजना	1994-95 तथा 1995-96 के दौरान जारी राशि को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत शामिल कर दिया गया।		42.73
इंदिरा आवास योजना	-वही-	-वही-	81.14
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	—	24.83	45.55
महिला एवं बाल विकास योजना	—	—	—
बनासकांठा जिला			
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	86.53	103.15	111.65

योजना	1994-95	1995-96	1996-97
जवाहर रोजगार योजना	737.46	182.99	209.29
सुनिश्चित रोजगार योजना	180.00	280.00	320.00*
दस लाख कुओं की योजना	1994-95 तथा 1995-96 के दौरान जारी राशि को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत शामिल कर दिया गया।		72.64
इंदिरा आवास योजना	1994-95 तथा 1995-96 के दौरान जारी राशि को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत शामिल कर दिया गया।		162.10
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	—	41.11	37.75
महिला एवं बाल विकास योजना			0.50

*अनन्तिम

इन जिलों सहित देशभर के ग्रामीण निर्धनों के उत्थान के लिए विभिन्न स्तरों पर इन कार्यक्रमों को नियमित रूप से निगरानी और समीक्षा की जाती है।

(च) मंत्रालय द्वारा देश भर में प्रेस, विज्ञापन, दूरदर्शन, आकाशवाणी, बाहरी प्रचार जैसे समस्त उपलब्ध माध्यमों के जरिए विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने के अथक प्रयास किए जा रहे है। मंत्रालय द्वारा चलो गांव की ओर और गांव विकास की ओर जैसे दो पाक्षिक आकाशवाणी कार्यक्रमों को भी प्रायोजित किया गया है। इन आकाशवाणी कार्यक्रमों का गुजराती में भी प्रसारण किया जा रहा है। बनासकांठा को जिला ग्रामीण विकास एजेंसी को भी अन्त वैयक्तिक सम्पर्क और परम्परागत माध्यम से विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए 5.00 लाख रुपए की अनुदान सहायता दी गई थी।

मध्य प्रदेश, राजस्थान और असम के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं हेतु रोजगार के अवसर

106. **श्री गोविन्दराम मिरी:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं असम के ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने एवं बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान किए गए प्रयत्नों और प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजरापू येरन्नायडु): ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने और पैदा करने के लिए केन्द्रीय सरकार स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। स्वरोजगार योजनाओं में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और इसकी उप योजनाएं अर्थात् ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास, ट्राईसेम और ग्रामीण कारीगरों को उन्नत औजार किटों की आपूर्ति शामिल है। मजदूरी रोजगार योजनाओं में जवाहर योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना शामिल है।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे बसर कर रहे परिवारों के पहचान किए गए ग्रामीण गरीबों को सरकार द्वारा सब्सिडी और वित्तीय संस्थाओं द्वारा मियादी ऋण के रूप में सहायता दी जाती है। इस वित्तीय सहायता से प्राप्त परिसंपत्तियों से स्वरोजगार के अवसर मिलते हैं। उनमें वृद्धि होती है। इस कार्यक्रम के मार्गदर्शी सिद्धांतों में यह प्रावधान है कि 40% लाभार्थी महिला होनी चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की ग्रामीण गरीब महिलाएं स्वयं इवाकरा समूह बनाती है। ऐसे प्रत्येक समूह को आय सर्जक ऐसी गतिविधियों शुरू करने के लिए 25,000 रु० की परिक्रामी निधि प्राप्त होती है जो कि उनकी रूचि और कौशल के अनुरूप हों।

ट्राईसेम का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के ग्रामीण युवाओं को तकनीकी और उद्यमी कौशल